भारत सरकार

इस्पात मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3103

15 मार्च, 2021 को उत्तर के लिए

लोहे और इस्पात का मूल्य

3103. श्रीमती वांगा गीता विश्वनाथ:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के अंतर्गत इस्पात क्षेत्र तथा अन्य प्रयोक्त उद्योगों जो हाल ही में लोहे तथा इस्पात के मूल्य में तीव्र वृद्धि से बुरी तरह प्रभावित होने वालों तथा सीमाशुल्क तथा अन्य शुल्कों जो कि उन पर नान-एलॉय, एलॉय तथा स्टेनलैस स्टील के सेमिस, फ्लैट तथा दीर्घ उत्पाद के संबंध में भार है एवं पुनः चक्रणकर्ता जो कि अधिकांशतः एमएसएमई हैं, को राहत प्रदान करने तथा इस्पात स्क्रैप संबंधी शुल्क में भी छूट देने और इस्पात के कतिपय उत्पादों पर एडीडी तथा सीवीडी का प्रतिसंहरण करके तथा तांबे के पुनर्चक्रणकर्ताओं को राहत प्रदान करने तथा तांबा के स्क्रैप संबंधी शुल्क को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ख) चालू वर्ष और गत छह वर्षों के दौरान तेलंगाना और आंध्र प्रदेश सहित राज्यों से क्या मांगे प्राप्त हुई हैं/उन पर क्या कार्रवाई की गई है तथा इसके क्या परिणाम निकले?

उत्तर

इस्पात मंत्री **(श्री धर्मेंद्र प्रधान)**

(क): एमएसएमई और अन्य उपयोगकर्ता उद्योगों के अंतर्गत इस्पात क्षेत्र की माँगों को पूरा करने के लिए, निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

(i) इस्पात मंत्रालय द्वारा दिनांक 24.06.2020 को दिशा-निर्देश जारी किए गए, जिनके तहत घरेलू इस्पात उत्पादक इस्पात की चार उत्पाद श्रेणियों (हॉट रोल्ड क्वायल, कोल्ड रोल्ड क्वायल, वायर रॉड्स और अलॉय इस्पात बार) की सीमित मात्रा ईईपीसी के एमएसएमई सदस्यों को निर्यात समतुल्य मूल्य पर प्रदान करेंगे।

(ii) कतिपय इस्पात उत्पादों पर एडीडी तथा सीवीडी के प्रतिसंहरण/अस्थायी रूप से प्रति-संहरण सहित 31 मार्च, 2022 तक की अवधि के लिए इस्पात स्क्रैप पर बीसीडी में छूट देकर तांबे के रिसाइक्लर्स सहित धातु रिसाइक्लर्स को राहत प्रदान करना और तांबे के स्क्रैप पर बीसीडी को 2.5% तक कम करना।

(iii) एमएसएमई और अंतिम प्रयोक्ताओं द्वारा उपयोग के लिए इस्पात की घरेलू उपलब्धता को बढ़ाने के लिए खनन कंपनियों और प्रमुख इस्पात उत्पादकों द्वारा क्रमशः लौह अयस्क और इस्पात के उत्पादन में तेजी लाना।

(iv) 6 महीनों की अवधि तक के लिए क्यूसीओ के अंतर्गत कतिपय मानकों के प्रवर्तन को आस्थगित करना।

(ख): आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों के एमएसएमई से कोई विशिष्ट माँग की प्राप्ति नहीं है।

****